भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1661

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण (अलगाव) में कमी

1661 **श्री आर. गिरिराजनः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्रोत स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण (अलगाव) में कमी तथा कचरे के अंधाधुंध तरीके से कचरा फेंके जाने की लगातार बनी हुई समस्या का गंभीरता से संज्ञान लिया है**,** यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है**;**

(ख) तमिलनाडु राज्य के प्रमुख नगर निगमों में चिन्हित किए गए कचरा निस्तारण स्थलों पर कचरा-दहन संयंत्र (इंसिनरेटर) तथा अत्याधुनिक अपशिष्ट निस्तारण उपकरण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं**;** और

(ग) इसके लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया था। की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्रोत पर पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान और सभी पुराने डंपसाइटों के उपचार के साथ-साथ अपशिष्ट के सभी प्रकारों का वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए तमिलनाडु सहित सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को और सुदृढ़ करने के लिए,भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हैं ,जिनके अंतर्गत स्रोत पर अपशिष्ट का चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य किया गया है तथा लैंडफिल में अपशिष्ट के निपटान को केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त अपशिष्ट और निष्क्रिय सामग्री तक सीमित किया गया है।

एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न प्रकार की नगरपालिका अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, बायो-मिथेनेशन संयंत्र, अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाएं, अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र, सीबीजी संयंत्र सहित सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में जारी करने के लिए 3296.70 करोड़ रुपये आवंटित किए जिसमें 3317.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को केंद्रीय अंश के रुप में अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3,296.70 करोड़ रुपये की कुल आवंटित राशि में से ₹807.40 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत तथा ₹1,999.70 करोड़ रुपये प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। इन आवंटनों में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के अंतर्गत ₹806.60 करोड़ रुपये तथा प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के अंतर्गत ₹1,938.06 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश वाले प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।इसके अलावा, एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत अब तक तमिलनाडु राज्य के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत 1500 टीपीडी क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹270 करोड़ रुपये है तथा जिनमें केंद्रीय अंश ₹47.88 करोड़ रुपये है।
